



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ACC NAME- Arvind Kumar Sharma
Stamp Vendor
Licence Number-397989
Stamping ACC Id-UP14107404
il-Sikohabad Distt.-Firozabab

Certificate No. : IN-UP37512887351973U
 Certificate Issued Date : 07-Mar-2022 02:53 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14107404/ FIROZABAD/ UP-FRZ
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410740465849096832344U
 Purchased by : R D Trust By Raghvendra Singh and Others
 Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : R D Trust By Raghvendra Singh and Others
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : R D Trust By Raghvendra Singh and Others
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 14,000
 (Fourteen Thousand only)



UNLOCKED

Please write or type below this line

Raghuveer Singh
 अरविन्द कुमार शर्मा
 ट्रस्ट - डीड/न्यास पत्र
 दिलीप कुमार - पंडा फौज सिंह
 रंजीत सिंह
 अनुशांता सिंह
 राजेश कुमार सिंह
 धीरेन्द्र कुमार सिंह

PU 0000482538



Statutory Alert:

- 1 The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- 2 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- 3 In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





Advocate
Tenseel-Shikohabad



Advocate
Tenseel-Shikohabad

आज दिनांक 07-03-2022ई01

में राघवेंद्र सिंह पुत्र श्री नरोत्तम सिंह, नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज जिला फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मैं स्वयं एवं अन्य ट्रस्टियों के सहयोग के रूप में अर्जित धन 25,000/- 25,000/- रूपया अर्थात कुल धन 2,00,000/- दो लाख रूपया लगाकर निम्न नामधारी ट्रस्ट/न्यास की स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट/न्यास का प्रबन्धन कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों / उपबन्धों के अन्तर्गत की जायेगी।


1. ट्रस्ट का नाम : आर0 डी0 ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का कार्यालय : नरसिंह भवन इटावा रोड, सिरसागंज, फिरोजाबाद
3. कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. ट्रस्ट का उद्देश्य : ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होंगे :


निम्न लिखित उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट गठित किया जाता है :-

- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडीकल शिक्षा विशेष रूप से पारम्परिक भारतीय वैदिक विज्ञान तथा वेद, उपनिषद, वैदिक, ज्योतिष आयुर्वेदिक, नैसर्गिक चिकित्सा, रत्न विज्ञान, मेडीटेसन (मनन) आदि पर आधारित शिक्षा, व्यवहार एवं स्वास्थ्य का विकास।
- उपरोक्त के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तार्किक जीवन यापन को बढ़ावा देना।
- उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओं / अनुसंधान अध्ययनों तथा व्यवहारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना
- उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविर सेमिनार एवं संगोष्ठी का आयोजन करना
- उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठनों के समूहों या व्यक्तियों को सलाह प्रदान करना।

रंजीत सिंह
रंजीत सिंह
रंजीत सिंह
रंजीत सिंह
रंजीत सिंह

रंजीत सिंह
रंजीत सिंह
रंजीत सिंह





Nitin Srivastava
Advocate
Tehseel-Simkhabad



Nitin Srivastava
Advocate
Tehseel-Simkhabad



- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किताबें, समाचार पत्र सावधिक (पीरियोडिकल्स) जर्नल, संवाद पत्र (न्यू लेटर) दृश्य-श्रव्य एवं डिजीटल डाटा आदि का प्रकाशन करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यरत व्यक्तियों, समूहों, संगठनों एवं समितियों आदि के लिए सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करना।
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिद्वित करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कानूनों, लाभकारी नियम एवं परिनिचयों के निर्माण हेतु वार्तायें, संगोष्ठी आदि आयोजित करना, ज्ञान प्रसारित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु जनहित याचिक आयोजित करना तथा जनता को उत्प्रेरित करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सके।
- इस न्यास के उद्देश्यों का प्रचार - प्रचार ऐसे माध्यमों से करना जो उचित समझे जाये विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र (सरकुलर्स) इसके कार्यो प्रदर्शनी, पारितोषिक तथा दान आदि वितरित करना।
- न्यास के उद्देश्यों के सम्बन्ध में, अनुवेश एवं संदर्भ पुस्तकालय स्थापित करना तथा उनमे पढने-लिखने के कमरे स्थापित करना और पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकाशनों का उपलब्ध कराना।
- अस्पताल, मेडीकल कालेज, स्कूल, अभियंत्रण, चिकित्सा, प्रबन्धक तथा विधि विद्यालय, डिस्पेन्सरी, प्रसूती गृह, बाल कल्याण केन्द्र परिचर्या गृह, क्रेच तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्त संस्थाओं की जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश में ही स्थापना करना, उनका उत्थान करना व उन्हें धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।
- परिवार कल्याण एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यो।
- भारतीय तथा अन्य देशों में स्कूल, कालेज, पुस्तकालय, अध्ययन कक्षों, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, बचत निधि एवं अन्वेषण संस्थान व अन्य प्रकार के

Rajendra Singh
अरवि कुमार सिंह
दिलीप कुमार

रंजीत सिंह
अनुराग सिंह


राजेश कुमार सिंह

रंजीत सिंह अनुराग सिंह



संस्थान जो छात्र व कर्मचारियों के लाभ के लिए हो, को स्थापित करना, चलाना, मदद करना व आर्थिक सहायता देना तथा शिक्षा विकास एवं प्रगति और ज्ञान का जन सामान्य में प्रसार करना।

- विभिन्न संक्रामक / गैर संक्रामक बीमारियों जैसे-एड्स, मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग, कैंसर, पोलियो, मोतियाबिन्द आदि रोकथाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तियों के मदद से कार्य करना।
- उद्यान (पार्क), व्यायामशाला, क्रीडा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब धर्मशाला आदि की जन समान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हें चलाना तथा उनकी सहायता करना।
- वचारकों, विधवाओं, अंधों, वृद्धों, गरीबों, जरूरतमंदों, अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए आश्रम गृह, धर्मशाला, विद्यालय, नवजात शिशुओं के लिए आश्रय गृह, अनाथालय, सार्वजनिक बारात घर आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्ध करना और इस प्रकार के लोगो की सहायता करना।
- शारीरिक रूप से विकलांग, अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमें ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, भोजन, कपडा आदि देकर सहायता की जाय।
- अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।
- कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह-उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानूनी एवं व्यवस्था का विकास, सौन्दर्यीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, चिकित्सा, कम्प्यूटर, कृषि इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोकनिर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं हांम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्ताहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संस्थान, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायतराज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधि संस्थाएँ, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज, बैंकिंग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं लघु संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणि उद्यान, एड्स नियंत्रण, साक्षरता एवं



 रंजीत सिंह
 अजय कुमार सिंह
 राजेश कुमार सिंह
 रंजीत सिंह
 अजय कुमार सिंह



वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, सीनीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थाएँ, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिंग, ललितकला, चित्रकला, वैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान आन्तरिक लेखापरीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाएँ आदि स्थापित करना उनका विकास करना और प्रबन्धन करना।

- उपरोक्त सभी क्रिया-कलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद करना।
- अनुदान/दान आदि प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे।
- ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न करना तथा दान एवं अन्य सहयोग से समय-समय पर लेकर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना।
- छात्र-छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धों, विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास/आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधाएँ भी हों।
- ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि की मान्यता प्राप्ति हेतु सम्बन्धित संस्थान, बेसिक शिक्षा परिषद, विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, आई०सी०एस०ई०, ए०आई०सी०टी०ई०, यू०जीवसी०, एन०सी०टी०ई०,से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विद्यालय, शिक्षण संस्थान अधिकृत होंगे तथा विद्यालय व संस्थान की संचालन समिति नियमों-परिनियमों को मानने एवं स्वीकृत करने हेतु अधिकृत होंगे।
- ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं के समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णय व ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों के लिए चल-अचल सम्पत्ति के क्रय-बिक्रय हेतु, बंधक रखने, गिरवी रखने, किसी बैंक संस्थान, कॉरपोरेशन आदि से ऋण लेने के सापेक्ष प्रतिभूति के रूप में रखने या प्रमाणित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) को प्राप्त होगा।
- ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना, ऋण लेना, खाते का परिचालन करना, ऋण सम्बन्धित दस्तावेजों पर अधिकृत व्यक्ति के साथ अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) अर्थात् संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।


5. न्यास की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियाँ :- न्यास के उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक श्री राघवेंद्र सिंह एवं अन्य ट्रस्टियों द्वारा लगाये गये दो लाख रुपये (2,00,000/-) की ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा।

राघवेंद्र सिंह
अरविन्द सिंह
दिलीप कुमार
च-इपेओ/दि
इंजीनियर
रंजीत सिंह
अनुराग सिंह




6:- ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए और भारतीय न्यास अधिनियम 1982 में कुछ भी विपरीत लिखे होते हुए भी, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियाँ धारण करेगी।

- ट्रस्ट / न्यास के लिए सहयोग, चन्दा आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोशिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तों के साथ या बिना शर्तों के स्वीकार करना।
- इस न्यास पत्र की शर्तों के अधीन न्यास की सम्पत्तियाँ तथा आय या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय-समय पर उपयोग करना।
- न्यास राशी को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तों के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर न्यास की सम्पत्तियों का बिक्रय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तर्गत करना।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11 (5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।
- विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिवर्धन करना या निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना तथा परिवर्तित एवं निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों हेतु अनुदान प्राप्त करना या देना उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।
- सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व म्युनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें वाद, अपील, रिब्यू, चार्ज व न्यायालय के समक्ष हों या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिब्यूनल के समस्त आदि को दायर करना, उन्हें चलाना तथा ऐसे वादों में जो न्यास के विरुद्ध दायर किये गये हों न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।
- न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना। न्यास परिषद के ऐसे कार्य को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चिन्नी नहीं दी जा सकेगी।
- न्यास की सम्पत्ति या क्रिया कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक मुझे उनका वहन करना।
- न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।



 राजेश कुमार सिंह
 रंजीत सिंह
 अनुराग सिंह
 दिलीप कुमार सिंह
 राजेश कुमार सिंह



- न्यास परिषद की सहमति पर भी अपनी कुछ शक्तियाँ किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधि करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।
- न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यास के समान हों तथा आंचकर अधिनियम 1980 की धारा 80 में मान्यता प्राप्त हो न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय-समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- न्यासीगणों की सहमति से निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यास की अचल सम्पत्ति को किराये पर देना या हस्तान्तरित करना।
- न्यास राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तों, दावों, माँग, मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौंपने तथा समीयाचित करना।
- समय-समय पर मुख्त्यार-ए-आम या मुख्त्यार-ए-खास या अभिकर्ता नियुक्त करना और मुख्त्यार-ए-आम या मुख्त्यार-ए-खास या अभिकर्ता को अपनी शक्तियाँ प्रतिनिधानित करना और अधिकृत करना तथा समय-समय पर ऐसे मुख्त्यार व अभिकर्ता को हटाना व उनके स्थान पर अन्य नियुक्त करना।
- न्यास उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया - कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनाएँ तथा परिनियम बनाना व उनमें परिवर्तन करना।
- जनहित में किसी भी पूर्व संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना, पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।
- न्यास की आय न्यास के विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास विधि में जमा करना।
- देश व विदेश में ऐसे न्यास, न्यास पूर्त संस्थाएँ/सोसाइटी/संगठन आदि की न्यास की आय में से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा और किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। ऐसे न्यासों, न्यास पूर्व संस्थाओं/समितियों/संगठनों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।
- संस्था के खातों का व्यवस्थित तथा हानि का दायित्व न लेते हुए न्यास के कार्य कलापों, कार्यवाहियों, माँगों दावों या वाद-विवाद में जैसा व उचित समझें समझौता करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फेसले हेतु सौंपना।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार, सहकारी संस्थाएँ, कारपोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थना-पत्र देना तथा चन्दा

रंजीत सिंह
 रंजीत सिंह
 अमराज सिंह
 रंजीत सिंह
 अमराज सिंह
 रंजीत सिंह
 अमराज सिंह
 रंजीत सिंह
 अमराज सिंह



आदि प्राप्त करना इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तों को निश्चित करना तथा शासकीय विभागों, सरकारी कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान की प्राप्ति तथा ऋण वापसी इत्यादि निर्धारित करना।

- न्यास की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।
- न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, असुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हें इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।
- ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबन्धित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।
- इस न्यास में जिन अन्य न्यासों, संस्थाओं, संगठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, को खरीदना व प्राप्त करना।
- न्यास की सम्पत्ति, आस्ति, दारित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति, संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।
- न्यास को अन्य समिति, संस्था, न्यास या संगठन को उन शर्तों में सौंपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझें, परन्तु इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासगण अपने दारित्व से अनुमोदन हो जायेंगे और न्यास राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।
- न्यास के आवर्तक व अनावर्तक व होने वाले खर्चों को निश्चित करना, उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठकों के सम्बन्ध में नियम बना सकते हैं और उन नियमों का समय-समय पर संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रभावी होंगे।
- न्यास व इनकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध - न्यासी व समिति आदि शामिल ह,को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूँजी व निवेश के सम्बन्ध में न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।
- न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेव पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते हैं, जिसमें न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सके।

रंजीत सिंह



- न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता व अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उन शर्तों पर ले सकते है जो उन्हें उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।
- न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों को प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेंगे और बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावी कानूनी व उचित माने जायेंगे।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमति से अन्य ट्रस्टों की वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।

7:- ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति का गठन:- श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, श्री दिलीप कुमार सिंह, श्री चन्द्रपाल सिंह, हरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह, श्री रंजीत सिंह, श्री अनुराग सिंह ट्रस्ट के संस्थापक माने जायेंगे। सदस्यों का पूरा नाम व पता निम्नवत् है:-

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता
1	श्री राघवेन्द्र सिंह आधार कार्ड - XXXX XXXX 7472 पैन कार्ड - AGSPS5075K मो० नं० - 9412265838	स्व० श्री नरोत्तम सिंह	नरसिंह भवन इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह आधार कार्ड - XXXX XXXX 6315 पैन कार्ड - ATJPS9305C मो० नं० - 9927465921	स्व० श्री नरोत्तम सिंह	नरसिंह भवन इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद
3	श्री दिलीप कुमार सिंह आधार कार्ड - XXXX XXXX 8333 पैन कार्ड - AGSPS5075K मो० नं० - 9457848200	स्व० श्री नरोत्तम सिंह	नरसिंह भवन इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद
4	श्री चन्द्र पाल सिंह आधार कार्ड - XXXX XXXX 1557 पैन कार्ड - AGPPS5271C मो० नं० - 955729080	स्व० श्री कर्णपाल सिंह	नरसिंह भवन इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद
5	श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह आधार कार्ड - XXXX XXXX 7259 पैन कार्ड - AJUPS0184J मो० नं० - 9412265863	स्व० श्री कर्णपाल सिंह	नरसिंह भवन इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद
6	श्री राजेश कुमार सिंह आधार कार्ड - XXXX XXXX 0403 पैन कार्ड - AKHPK5849A मो० नं० - 9412420668	स्व० श्री कर्णपाल सिंह	नरसिंह भवन इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद

अरविन्द कुमार सिंह
 दिलीप कुमार सिंह
 राजेश कुमार सिंह
 रंजीत सिंह
 अनुराग सिंह



7	श्री रंजीत सिंह आधार कार्ड - XXXX XXXX 2170 पैन कार्ड - ATKPS9602F मो0 नं0 - 9758506356	श्री कृष्णपाल सिंह	नरसिंह भवन इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद
8	श्री अनुराग सिंह आधार कार्ड - XXXX XXXX 5539 पैन कार्ड - BIEPS0929K मो0 नं0 - 9927465505	श्री कृष्णपाल सिंह	नरसिंह भवन इटावा रोड, सिरसागंज फिरोजाबाद

संस्थापक सदस्यों द्वारा ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज के सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है। ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले ऐसे सभी लोग जो ट्रस्ट को 10,000.00/- (दस हजार रूपया) दान दें, संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकते हैं।

संस्थापक सदस्यों एवं नियमानुसार बनाये गये अन्य सदस्यों/ट्रस्टी/न्यासी को मिलाकर सदस्यों को ट्रस्ट की साधारण सभा/ न्यासी परिषद कहा जायेगा।

श्री राघवेंद्र सिंह ट्रस्ट के अजीवन अध्यक्ष रहेंगे। तदोपरान्त ट्रस्टियों की वंशीवली का पुरुष सदस्य संस्था का अध्यक्ष बनेगा।

अध्यक्ष पद पर कभी भी किसी भी दशा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठेगा जो उक्त ट्रस्टियों का वंशज न हो।

8:- ट्रस्ट का सदस्य बनने की योग्यता:- न्यास पत्र के बिन्दु-7 में उल्लिखित प्राविधान के बावजूद ऐसा कोई व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य नहीं बन सकता, जो-

- (I) पागल मानसिक रूप से बीमार हों।
- (II) नैतिक अपराध के आरोप में सजायाफ्ता हो।
- (III) ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करें।

यदि ट्रस्ट का कोई सदस्य, सदस्य बनने के बाद उक्त तीनों में से किसी एक प्रतिबन्ध के अन्तर्गत आ जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसे किसी भी सदस्य को अध्यक्ष अपने विवेकानुसार कभी भी बर्खास्त कर सकेगा।

8:- ट्रस्ट की कार्य प्रणाली:-

- (I) ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति ट्रस्ट का प्रनिधित्व करेगी। अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होग तथा वह प्रबन्ध समिति एवं ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा।
- (II) कोई भी निर्णय ट्रस्ट की साधारण सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किये जाने पर ही ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा।
- (III) ट्रस्ट का साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में दो बार कराया जाना आवश्यक होगा। बैठक बुलाने का दायित्व एवं बैठक में लिए गये समस्त निर्णयों तथा अन्य विचार-विमर्श को लिपिबद्ध कराते हुये सुरक्षित रखने का दायित्व सचिव/मंत्री का होगा।

राघवेंद्र सिंह
अनुराग सिंह
रंजीत सिंह
अनुराग सिंह
दिलीप कुमार परमार सिंह
दरभंगाबाद



- (IV) ट्रस्ट की साधारण सभा सदस्य संख्या 1/4 की उपस्थिति बैठक के संचालन हेतु आवश्यक होगी। इसके अभाव में कोरम (गणपूर्ति) का अभाव माना जावेगा। कोरम के अभाव में स्थगित हुयी बैठक के एक माह के भीतर दुबारा बैठक कराना अनिवार्य होगा।
- (V) कोरम (गणपूर्ति) के अभाव में बैठक आयोजित न होने की दशा में या अन्यथा भी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के हित में लिया गया कोई निर्णय ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा, किन्तु ऐसे किसी भी निर्णय के पक्ष समर्थन में संस्थापक सदस्यों की कम से कम कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
- (VI) बैठक की सूचना सभी सदस्यों को उनके स्थाई पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से बैठक के दिनांक से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

10 :- ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति :-

ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होंगे -

- (i) अध्यक्ष
- (ii) उपाध्यक्ष
- (iii) सचिव/मंत्री
- (iv) कोषाध्यक्ष
- (v) सदस्यगण

ट्रस्ट का अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष का चयन ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में से स्वयं करेगा। इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा। सचिव/मंत्री, कोषाध्यक्ष का चयन ट्रस्ट की साधारण सभा द्वारा अपनी बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किया जायेगा। सचिव/मंत्री तथा कोषाध्यक्ष पद हेतु किसी भी सदस्य को साधारण सभा में दो तिहाई बहुमत का समर्थन न मिलने की दशा में संस्थापक सदस्यों के बहुमत के द्वारा उक्त पद धारकों का चयन किया जायेगा। किसी कारणवश किसी दशा में चयन न हो पाने की दशा में उक्त पदों पर चयन होने तक पदाधिकारियों को मनोनित किया जावेगा।

ट्रस्टियों/न्यासीगणों के अधिकार :- ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों के अधिकार निम्नवत् होंगे-

(क) अध्यक्ष :-

ट्रस्ट का साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारु संचालन हेतु नियत निर्देश तय करना।

- मतदान की स्थिति में समान मद होने की स्थिति में मतदान करना।
- ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
- उपाध्यक्ष का चयन करना।

हस्ताक्षर/अरवि कुमार सिंह
 रजिनी कुमार - अध्यक्ष
 रजिनी कुमार सिंह
 रंजीत सिंह
 अनुसूराग सिंह
 रजिनी कुमार सिंह



- न्यास व न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा संचालन तथा सेवा समाप्त।
- न्यास/न्यास सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार की प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये तो) के क्रियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना एवं न्यास/ ट्रस्ट के द्वारा क्रय की जाने वाली किसी भी सम्पत्ति को अपने हस्ताक्षरों द्वारा क्रय करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा, इसमें अन्य किसी ट्रस्टी के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं होगी।
- न्यास के सभी पत्राचार अध्यक्ष के नाम होंगे।
- न्यास की समस्त राशियों का व खातों का, कोषाध्यक्ष के सहयोग से संचालन।
- सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब-किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैठकों में उन्हें कोषाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना।
- जहाँ कहीं किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहाँ अन्तिम निर्णय देना।

(ख) उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किये गये सभी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना।

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करना।

(ग) प्रबंधक/मंत्री :-

- ट्रस्ट की दो वार्षिक बैठकों, अन्य सभी प्रकार की बैठकों का अयोजन करना।
- ट्रस्ट एवं सम्बन्धित संस्थाओं की समस्त प्रकार की कार्यवाही को बैठक में प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार समस्त प्रकार के प्रशासनिक कार्य करना।

(घ) कोषाध्यक्ष :-

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त प्रकार के वित्तीय कार्य करना एवं उनका रख-रखाव करना तथा अध्यक्ष के निर्देशानुसार उसके साथ खातों का संचालन करना।
- अध्यक्ष की लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किसी व्यक्ति को ट्रस्ट का सदस्य बनाने हेतु शुल्क प्राप्त करना तथा तदनुसार ही चल सम्पत्ति दान के रूप में प्राप्त करना।
- अपने दायित्व से सम्बन्धित समस्त प्रकार के अभिलेखों का रख-रखाव करना।

(ड.) ट्रस्टी सदस्य :-

- ट्रस्ट की बैठकों में प्रतिभाग करना तथा मत देना।

हस्ताक्षरों के साथ निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम और उनके हस्ताक्षरों के साथ छापें:

रंजीत सिंह, अशोक कुमार सिंह, दिलीप कुमार, अशोक सिंह, रंजीत सिंह, अनुराग सिंह, अशोक सिंह

आवेदन सं०: 202200774002459

न्यास पत्र

वर्ष: 2022

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 9

प्रतिफल- 200000 स्टाम्प शुल्क- 14000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 2000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 2080

श्री राघवेन्द्र सिंह
पुत्र श्री नरोत्तम सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज फ़िरोज़ाबाद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08/03/2022 एवं 12:51:02.PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव कुमार प्रभारी
उप निबंधक शिकोहाबाद
फ़िरोज़ाबाद
08/03/2022

मु० आरिफ़ ख़ाँ
निबंधक लिपिक

प्रिंट करे




ट्रस्ट डीड में संशोधन :-

वर्तमान ट्रस्ट डीड में यदि प्रबन्ध समिति संशोधन करना चाहे तो समिति के दो तिहाई बहुमत के आधार पर वाँछित संशोधन किया जा सकेगा जो पंजीकरण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

विघटन :- अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन होगा।

ट्रस्ट की सम्पत्ति :-

ट्रस्ट के निष्पादन के समय ट्रस्ट के पास, ट्रस्टियों द्वारा समर्पित 2,00,000/- दो लाख रुपये के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है।


 The image shows two rows of handwritten signatures and fingerprints. The top row contains four signatures: 'Raghu...', 'अरवि, दुर्गा...', 'दीपिका...', and 'अशोक...'. The bottom row contains three signatures: 'राजेश...', 'रंजीत...', and 'अनुराग...'. Each signature is accompanied by a fingerprint.

न्यासी: 7

श्री रंजीत सिंह, पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह

निवासी: नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज फ़िरोज़ाबाद

व्यवसाय: कृषि



न्यासी: 8

श्री अनुराग सिंह, पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह

निवासी: नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज फ़िरोज़ाबाद

व्यवसाय: कृषि



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान


पहचानकर्ता : 1

श्री रामगोपाल, पुत्र श्री बृजनारायन

निवासी: मुहल्ला उत्तरी मोहनगंज नगर व तहसील सिरसागंज
जिला फ़िरोज़ाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री चन्द्र कान्त सिंह, पुत्र श्री चन्द्र पाल सिंह

निवासी: 110 इटावा रोड नरसिंह भवन नगर व तहसील
सिरसागंज जिला फ़िरोज़ाबाद

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए
गए हैं।

टिप्पणी :

राजीव कुमार प्रभारी
उप निबंधक : शिकोहाबाद
फ़िरोज़ाबाद





मु० आरिफ़ खाँ
निबंधक लिपिक





प्रिंट करें









प्रतिबन्धों की बाध्यता :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर-प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर-प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।
9. उत्तर-प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
10. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 9

वर्ष: 2022


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्री राघुजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री नरोत्तम सिंह

निवासी: नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज फ़िरोज़ाबाद

व्यवसाय: कृषि

न्यासी: 2



श्री अरविन्द कुमार सिंह, पुत्र श्री नरोत्तम सिंह

निवासी: नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज फ़िरोज़ाबाद

व्यवसाय: कृषि

न्यासी: 3



श्री दिलीप कुमार सिंह, पुत्र श्री नरोत्तम सिंह

निवासी: नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज फ़िरोज़ाबाद

व्यवसाय: कृषि

न्यासी: 4




श्री चन्द्र पाल सिंह, पुत्र श्री कर्णपाल सिंह

निवासी: नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज फ़िरोज़ाबाद

व्यवसाय: कृषि

न्यासी: 5



श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री कर्णपाल सिंह

निवासी: नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज फ़िरोज़ाबाद

व्यवसाय: कृषि

न्यासी: 6



श्री राजेश कुमार सिंह, पुत्र श्री कर्णपाल सिंह

निवासी: नरसिंह भवन इटावा रोड सिरसागंज फ़िरोज़ाबाद

व्यवसाय: कृषि



अतः मैं राघवेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री नरोत्तम सिंह, निवासी- नरसिंह भवन, इटावा रोड, नगर व तहसील-सिरसागंज, जिला-फिरोजाबाद आज दिनांक 07/03/2022ई० को इस ट्रस्ट का पंजीकरण कराकर इसकी स्थापना करता हूँ। लिहाजा यह न्यास पत्र तहरीर कर दिया कि सनद रहे। मसौदाकर्ता- नितिन श्रीवास्तव, एडवोकेट, तहसील- शिकोहाबाद।

07/03/22

Nitin Shrivastava
Advocate
Tehseel-Shikohabad

गवाह : रामगोपाल पुत्र श्री बृजनारायन
निवासी- मुहल्ला उत्तरी मोहनगंज,
नगर व तहसील- सिरसागंज
जिला- फिरोजाबाद
आधार कार्ड - xxxx xxxx 0770
मो० नं०- 9837545900



गवाह : चन्द्र कान्त सिंह पुत्र श्री चन्द्र पाल सिंह
निवासी- 110, इटावा रोड, नरसिंह भवन,
नगर व तहसील- सिरसागंज
जिला- फिरोजाबाद
आधार कार्ड - xxxx xxxx 0573
मो० नं०- 9456275757



राघवेन्द्र सिंह / अरवि कुमार सिंह / दिलीप कुमार / चंडपाल सिंह

राजेश कुमार सिंह / रंजीत सिंह / अजय कुमार सिंह

आवेदन सं०: 202200774002459

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 43 के पृष्ठ 1 से 30 तक
क्रमांक 9 पर दिनांक 08/03/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया
गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव कुमार प्रभारी
उप निबंधक : शिकोहाबाद
फ़िरोजाबाद
08/03/2022

